दिनांक 22-5-2017

पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 के मध्य कोर्ट, बेंच में पेश हुई। पक्षकारान को लोक अदालत के जारी नोटिस बाबत तामील कार्यवाही के प्राप्त हुये जो शामिल मिसल की। वादी धर्मसिंह उपस्थित। प्रतिवादी पक्ष बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। उपस्थित वादी पक्ष को सुना गया। पत्रावली

धर्मसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी पक्ष बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार गुणदोष पर निर्णय किये जाने का निर्णय लिया गया। वादी ने बेहद खेवट आराजी खसरा नंबर 1506 से 1515 कुल रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा से बने हाल 3982 से 3998 कुल खसरा-(17) कुल रकबा 5-84 हैक्टर में वादी द्वारा पुश्तैनी हक के अनुसार 1/3 हिस्सा की घोषणा खातेदारी की मांग की है। इसके विरुद्ध प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि वादी धर्मसिंह समरथा जी के गोद गया है जबकि समरथा जी के एक और लड़का है तथा समरथा जी की आराजी में वादी को कोई हक प्राप्त होना अभिलेखों से प्रमाणित नहीं है तथा यह प्रमाणित है कि पेमा पुत्र चतरा जी के तीन पुत्र हुये हैं। जिसमें एक वादी के पिता हिम्मता जी है। संवत 2009 से 2028 की खतौनी में बने रहे खसरा नंबर 1506 से 1515 कुल खसरा-(10) रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा पेमा पुत्र चतरा की खातेदारी थी जो खातेदार पेमा के देहांत के बाद दाखिल खारिज नामांतरण संख्या 10 दि. 26-6-60 से पेमा के दो पुत्रों वरदा व गिरधारी के नाम ही दर्ज है। जो वर्तमान अधिकार अभिलेखों में वरदा फौत होने से वारिसों के नाम तथा गिरधारी के नाम दर्ज है। प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार गिरधारी फौत हो चुका है। जिससे गिरधारीसिंह के वारिसान अर्जुनसिंह मनोहरसिंह मांगूसिंह पि. गिरधारीसिंह को रेकर्ड पर लिया जाता है। इसका अंकन पावती में

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मे लाभ स्थाई से किया जावे। उपलब्ध तथ्यो से साबित है कि वादी पेमा पुत्र चतराजी के तीन पुत्रो मेसे हिमता का पुत्र है। वादग्रस्त भूमि पेमा पुत्र चतराजी की खातेदारी भूमि थी तथा पेमा पुत्र चतराजी के देहांत बाद अकेले प्रतिवादी सं 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है। वादी वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्सा पर काबिज है तथा 1/3 हिस्सा अनुसार घोषणा खातेदारी पाने का अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। मौजा बेडा खेवट भूमि ख.नं. 1506 से 1515 कुल खसरा - 10 कुल रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा से बने सेटल खसरा नंबर 3987 से 3998 कुल खसरा - 12 कुल रकबा 5.84 हैक्टर मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 के तहत 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादी के नाम घोषित की जा रही भूमि का बार्ड मिटस व बाउण्डस के विभाजन की धारा 53 रा.का. के तहत प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार आबू को। भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं 2 का 1/3 हिस्सा अनुसार बार्ड मिटस व बाउण्डस के विभाजन कर वादी के 1/3 हिस्से अनुसार बंट मे रखी भूमि तथा प्रतिवादीगण के बंट मे रखी भूमि के विभाजन के	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियक्स जज
	प्रस्ताव एक सप्ताह में इस न्यायालय में पेश करे। इसी कदर प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण में पृथक से इन्द्राज पश्चातवर्ती कायम की जाकर नियमानुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दि. 22-5-2012 को अजलास-ए-आम में सुनाया गया। उप - खण्ड अधिकारी, [illegible]

Scanned by CamScanner